फारम सं0-563

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

अभिलेख उपस्थापित।

(1.) श्री भुलन रविदास पिता स्व0 सोहर रविदास, (2.) श्री सुरज राम पिता स्व0 खिरू रविदास, (3.) श्री कारू रविदास पिता स्व0 प्रयाग राम एवं (4.) श्री कैलाश रविदास पिता स्व0 लाटो रविदास, निवास स्थान जैलमा, पोस्ट–लुपुंग, थाना–कटकमसांडी, जिला–हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–कटकमसांडी, मौजा–जैलमा, थाना नं0–66, खाता संख्या–19, प्लॉट संख्या–578, रकवा–0.06 एकड़ (छः डिसमिल) भूमि श्रीमती सरिता देवी पति जितेन्द्र कुमार, निवास स्थान ग्राम–सरैया, थाना–पदमा ओ0पी0, जिला–हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण–पत्र की छायाप्रति, खतियान की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSON22014161 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-33/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 133/रा0 दिनांक 08.01.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, कटकमसांडी को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जॉंच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, कटकमसांडी के पत्रांक 221 दिनांक 05.04.2022 के द्वारा जॉंच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, कटकमसांडी द्वारा जॉंच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि –

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं जिला हजारीबाग के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत होरिल चमार हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 5.31 एकड़ है। पंजी–।। अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 4.36 एकड़ है। पंजी–।। के पृष्ठ संख्या-46/I पर विक्रेता के पिता के नाम से जमाबंदी दर्ज है। वर्ष 2021–22 तक लगान रसीद निर्गत् है। आवेदकगण जमाबंदी रैयत के पुत्र एवं खतियानी रैयत के पौत्र हैं। आवेदकगण द्वारा धारित कुल रकवा 4.36 एकड़ भूमि है। भूमि बिक्री की अनुमति

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी ता
1	2	

मिलने के पश्चात् आवेदकगण के पास रकवा 4.30 एकड़ भूमि बचेगी। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदकगण के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, कटकमसांडी द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, कटकमसांडी के अनुशंसा के आलोक में (1.) श्री भुलन रविदास पिता स्व0 सोहर रविदास, (2.) श्री सुरज राम पिता स्व0 खिरू रविदास, (3.) श्री कारु रविदास पिता स्व0 प्रयाग राम एवं (4.) श्री कैलाश रविदास पिता स्व0 लाटो रविदास, निवास स्थान जैलमा, पोस्ट-लुपुंग, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमसांडी, मौजा-जैलमा, थाना नं0-66, खाता संख्या-19, प्लॉट संख्या-578, रकवा-0.06 एकड़ (छः डिसमिल) भूमि श्रीमती सरिता देवी पति जितेन्द्र कुमार, निवास स्थान ग्राम-सरैया, थाना-पदमा ओ0पी0, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.09.14 15:58:07 +05:30
Location: 192.168.100.2